बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
अधिसूचना

दिनांक .....

संख्या 7/प्राधि० –4/2016 .....

भारत–संविधान के अनुच्छेद–162 एवं 243, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–47 सपठित धारा–146, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–46, 47 सपठित धारा–419, बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–38 तथा बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 की धारा–14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

भाग–1

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** –
   (i) यह नियमावली "बिहार राज्य शिक्षण संस्थान शिक्षक एवं कर्मचारी (शिकायत निवारण एवं अपील) नियमावली, 2020" कही जाएगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएं** – इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई बात न हो –
   (i) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
   (ii) **"विभाग"** से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग;
   (iii) **"अपीलीय प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन जिला स्तर पर गठित **"जिला अपीलीय प्राधिकार"** एवं राज्य स्तर पर गठित **"राज्य अपीलीय प्राधिकार"** ;
   (iv) **"पीठासीन पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है, जिला अपीलीय प्राधिकार का पीठासीन पदाधिकारी ;
   (v) **"अध्यक्ष"** से अभिप्रेत है, राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष ;
   (vi) **"प्रारंभिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, वैसे राजकीय/राजकीयकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल हैं), जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है ;
   (vii) **"माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है ;
   (viii) **"उच्च माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा–12 तक की पढ़ाई होती है ;
   (ix) **"अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत/मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, वह विद्यालय जो सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो और किसी प्रबंध समिति/शासी निकाय/न्यास/निगमित निकाय/तदर्थ समिति द्वारा शासित हो ;
   (x) **"अनुदानित स्नातक महाविद्यालय"** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) की धारा–4(19) एवं 21(2)(d) में अंकित प्रावधान

के तहत राज्य सरकार के पूर्वानुमति से संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त स्नातक महाविद्यालय ;

(xi) **"निजी विद्यालय"** से अभिप्रेत है, मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधिक व्यक्तित्व, व्यक्ति, व्यक्ति निकाय विनियमन संहिता के अधीन कोई अन्य सक्षम प्राधिकार से स्थापित प्री–प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो नर्सरी से कक्षा XII तक या इसमें से किसी अलग–अलग कक्षा के लिए संचालित हों, किन्तु इसमें राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय और केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित कोई विद्यालय सम्मिलित नहीं है ;

(xii) **"शिक्षक" से अभिप्रेत है –**

(क) बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित नियमावली के तहत पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अधीन राजकीय/राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक;

(ख) राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 108 प्रारंभिक विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल हैं) जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है, में संबंधित प्रबंध समिति के अधीन कार्यरत शिक्षक ;

(ग) अनुदानित, स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में संबंधित प्रबंध समिति/न्यास के अधीन कार्यरत शिक्षक ;

(घ) निजी विद्यालय के शिक्षक ;

(xiii) **"प्रधानाध्यापक" से अभिप्रेत है –**

(क) बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित नियमावली के तहत पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अधीन राजकीय/राजकीयकृत मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत होने वाले प्रधान अध्यापक;

(ख) राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 108 प्रारंभिक विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल हैं) जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है, में संबंधित प्रबंध समिति के अधीन कार्यरत प्रधानाध्यापक ;

(ग) अनुदानित, स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में संबंधित प्रबंध समिति/न्यास के अधीन कार्यरत प्रधानाध्यापक ;

(घ) निजी विद्यालय के प्रधानाध्यापक ;

(xiv) **"अध्यापक"** से अभिप्रेत है, संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य, सह–प्राचार्य एवं सहायक प्राचार्य ;

(xv) **"प्राचार्य"** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) रेगुलेशन, दिशा निदेश अथवा परिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त अथवा प्रोन्नत संबद्ध अनुदानित महाविद्यालय का प्राचार्य ;

(xvi) **"सह प्राचार्य"** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) रेगुलेशन, दिशानिदेश अथवा परिनियम के अनुसार सम्यक रूप से

नियुक्त/प्रोन्नत संबद्ध अनुदानित महाविद्यालय का सह प्राचार्य ;

(xvii) **"सहायक प्राचार्य"** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) के संगत प्रावधान के तहत संबंधित अनुदानित महाविद्यालय के प्रबंध समिति/शासी निकाय/न्यास द्वारा नियुक्त सहायक प्राचार्य;

(xviii) **"शिक्षकेत्तर कर्मी"** से अभिप्रेत है –

(क) बिहार सरकार द्वारा विहित प्रावधानों के तहत पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अधीन राजकीय/राजकीयकृत/ प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत होने वाले कर्मी (पुस्तकालयाध्यक्ष सहित) जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 108 प्रारंभिक विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल हैं) जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है, में संबंधित प्रबंध समिति के अधीन कार्यरत कर्मी, जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;

(ग) अनुदानित, स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में संबंधित प्रबंध समिति/न्यास के अधीन कार्यरत कर्मी, जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;

(घ) निजी विद्यालय के कर्मी, जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;

(ड.) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) रेगुलेशन, दिशा निदेश अथवा परिनियम के अनुसार सम्यक रूप से संबंधित अनुदानित महाविद्यालय में संबंधित प्रबंध समिति/शासी निकाय/न्यास समिति के अधीन कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मी, जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;

(xix) **"प्रबंध समिति"** से अभिप्रेत है – महाविद्यालयों के संचालन हेतु संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विधिमान्य रूप से गठित प्रबंध समिति, उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर महाविद्यालय)/माध्यमिक विद्यालय में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विधिवत् रूप से गठित प्रबंध समिति अथवा शासी निकाय अथवा तदर्थ समिति, सहायता प्राप्त 108 प्रारंभिक विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल हैं) जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है, के संचालन हेतु विधिमान्य रूप से गठित प्रबंध समिति एवं निजी विद्यालय के संचालन हेतु विधिमान्य रूप से गठित प्रबंध समिति ;

(xx) **"शुल्क विनियमन समिति"** से अभिप्रेत है, बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 के अधीन गठित प्रमण्डल स्तरीय समिति ;

(xxi) **"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ;

(xxii) **"विश्वविद्यालय"** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय;

(xxiii) **"विनियमावली"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन विहित प्रक्रिया द्वारा गठित विनियमावली ;

3. **अपीलीय प्राधिकार का गठन**

(i) इस नियमावली द्वारा अपीलीय प्राधिकारों को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों एवं अधिकारों के प्रयोग हेतु राज्य सरकार जिला स्तर पर जिला अपीलीय प्राधिकार का गठन करेगी। इसमें दो सदस्य होंगे, जो पीठासीन पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(ii) जिला अपीलीय प्राधिकार एवं प्रमण्डल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति के द्वारा पारित निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील सुनने हेतु राज्य स्तर पर राज्य अपीलीय प्राधिकार का गठन राज्य सरकार करेगी। इसमें दो अध्यक्ष होंगे।

(iii) प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारियों/अध्यक्षों के बीच कार्यक्षेत्र का आवंटन विभाग समय–समय पर कर सकेगी।

4. **अपीलीय प्राधिकार की संरचना**

(i) जिला अपीलीय प्राधिकार में दो पीठासीन पदाधिकारी होंगे। एक पीठासीन पदाधिकारी बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी जबकि दूसरे पीठासीन पदाधिकारी बिहार शिक्षा सेवा अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी होंगे।

(ii) उप धारा (i) में किसी बात को होते हुए भी, राज्य सरकार किसी एक जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी को किसी दूसरे जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के कृत्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत कर सकेगी।

(iii) राज्य अपीलीय प्राधिकार में दो अलग–अलग अध्यक्ष होंगे। एक अध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति होंगे, जबकि दूसरे अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रधान सचिव से अन्यून स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी होंगे। राज्य सरकार किसी एक अध्यक्ष को किसी दूसरे अध्यक्ष के कृत्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत कर सकेगी।

5. **पीठासीन पदाधिकारी/अध्यक्ष के रूप में मनोनयन/नियुक्ति हेतु अर्हता**

(i) कोई व्यक्ति तब तक किसी जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मनोनयन/नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह –

(क) जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश के पद पर कार्यरत न रहा हो ; अथवा

(ख) बिहार शिक्षा सेवा अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधीन लेबल–13 के वेतनमान में कार्यरत न रहा हो ;

(ii) कोई व्यक्ति तब तक राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष के रूप में मनोनयन/नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जबतक कि वह –

(क) माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में कार्यरत नहीं रहा हो, अथवा

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के रूप में प्रधान सचिव से अन्यून स्तर के पद पर कम से कम दो वर्ष तक कार्यरत न रहा हो।

6. **पीठासीन पदाधिकारी/अध्यक्ष का कार्यकाल**

जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी, योगदान की तिथि से पाँच वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक, दोनों में जो कम हो, के लिए अपना पद धारित करेंगे। इसी प्रकार, राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष योगदान की तिथि से 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक दोनों में से जो कम हो के लिए पद धारित करेगा।

7. **अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी/अध्यक्ष की नियुक्ति**

(i) शिक्षा विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित

स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

(ii) राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति विभाग की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री, बिहार के अनुमोदन से की जाएगी।

8. **पदत्याग एवं पद से हटाया जाना**

(i) जिला अपीलीय प्राधिकार का पीठासीन पदाधिकारी राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्तलिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा :

परन्तु, जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी को जब तक राज्य सरकार द्वारा उसे अपना पद छोड़ने की अनुमति न दी जाय अथवा ऐसी सूचना की प्राप्ति की तिथि के तीन माह की समाप्ति न हो जाय अथवा उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति पदभार ग्रहण न कर ले अथवा जब तक उसका कार्यकाल समाप्त न हो जाय, जो भी पहले हो, तबतक वह अपने पद पर बने रहेंगे।

(ii) राज्य सरकार जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी को दुर्व्यवहार, कार्य असमर्थता, कृत्यों के निर्वहन में शिथिलता, सरकार द्वारा प्रवृत्त नियमों के विरूद्ध आदेश पारित करने, धारित करते हुए वेतन पर अन्य नियोजन में होने के कारण पद से हटा सकेगी। किन्तु पद से हटाने के पूर्व उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(iii) राज्य सरकार को राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष स्वलिखित सूचना द्वारा पद त्याग कर सकेंगे। कार्य–असमर्थता, कृत्यों के निर्वहन में शिथिलता, दुर्व्यवहार के कारण सरकार द्वारा उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पद से हटाया जा सकेगा।

9. **अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी/अध्यक्ष का वेतन भत्ता एवं सेवा शर्तें**

(i) जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारियों को वही वेतन भत्ते की राशि, जो सेवानिवृति के समय प्राप्त थी, से पेंशन की रूपांतरित राशि सहित प्राप्त पेंशन आदि को घटाकर प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अनुमान्य भत्ते प्राप्त होंगे।

(ii) राज्य अपीलीय प्राधिकार के दोनों अध्यक्षों को वही वेतन भत्ते (पेंशन की रूपांतरित राशि सहित प्राप्त पेंशन आदि को घटाकर) एवं सुविधाऐं प्राप्त होंगी जो माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायाधीश को प्राप्त है।

(iii) जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी एवं राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष वर्ष में 16 दिनों के आकस्मिक अवकाश एवं 20 दिनों के विशेष अवकाश के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष में 60 दिनों तक बिना वेतन का असाधारण अवकाश की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। आकस्मिक अवकाश का स्वयं उपभोग करते हुए उसकी सूचना विभाग को देंगे। विशेष अवकाश एवं असाधारण अवकाश की स्वीकृति विभाग द्वारा दी जायेगी।

10. **अपीलीय प्राधिकार का स्टाफ**

(i) अपीलीय प्राधिकार के कृत्यों के निर्वहन में सहयोग हेतु अपेक्षित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रकृति एवं कोटि विभाग अवधारित करेगी और ऐसे पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी की सेवा जिन्हें उचित समझे, अपीलीय प्राधिकार को उपलब्ध करायेंगी।

(ii) अपीलीय प्राधिकार के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन–भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो विभाग द्वारा समय–समय पर विहित की जाएगी।

(iii) अपीलीय प्राधिकार के अधिकारी एवं कर्मचारी यथास्थिति, पीठासीन पदाधिकारी/अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

11. **अपीलीय प्राधिकार के कार्यालय संचालन हेतु राशि**

वित्तीय वर्षवार अपीलीय प्राधिकार के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक राशि की व्यवस्था की जायेगी।

12. **बैंक खाता एवं संचालन**

अपीलीय प्राधिकार का अपना बैंक खाता एवं मुहर होगा। बैंक खाता का संचालन राज्य सरकार के निदेश के अनुसार किया जायेगा।

भाग – 3

13. **जिला अपीलीय प्राधिकार के कृत्य एवं शक्तियाँ**

(क) (i) बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित नियमावली/प्रावधान के अधीन पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के तहत राजकीय/राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक/शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों एवं परिवादों का निवारण करेगा।

(ii) राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 108 प्रारंभिक विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल हैं) जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है, के प्रबंध समिति द्वारा प्रधानाध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी की नियुक्ति एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों एवं परिवादों का निवारण करेगा।

(iii) अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत/मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा अनुदानित महाविद्यालय में नियुक्ति की प्रक्रिया एवं अनुदान वितरण से संबंधित शिकायतों एवं परिवादों का निवारण करेगा।

(iv) निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के बीच के विवाद का निपटारा करेगा।

(v) पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अधीन राजकीय/राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधान अध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए विहित सेवाशर्त के क्रियान्वयन पर सक्षम पदाधिकारी/समिति के निर्णय से व्यथित होने पर संबंधित प्रधान अध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के द्वारा दायर अपील का निवारण करेगा।

(vi) राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 108 प्रारंभिक विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल हैं) जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है, के प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए विहित सेवाशर्त के क्रियान्वयन पर प्रबंध समिति के निर्णय से व्यथित होने पर संबंधित प्रधानाध्यापक/ शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मी के द्वारा दायर अपील का निवारण करेगा।

(vii) अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत/मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा अनुदानित महाविद्यालय के प्राचार्य/सह–प्राचार्य/सहायक प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए विहित सेवाशर्त के क्रियान्वयन पर प्रबंध समिति के निर्णय से व्यथित होने पर संबंधित प्राचार्य/

सह–प्राचार्य/सहायक प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के द्वारा दायर अपील का निवारण करेगा।

(viii) अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी परिवाद/विवाद के निष्पादन के निमित्त जाँच–पड़ताल एवं सुनवाई करते हुए आदेश पारित करेंगे।

(ix) अपीलीय प्राधिकार सम्बन्धित जिला के शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी या किसी अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी से मामले की जाँच–पड़ताल करवा सकेंगे।

(ख) अपीलीय प्राधिकार का कार्यालय परिवादों/अपीलों से सम्बन्धित सभी प्रकार के दस्तावेजों का संधारण समुचित रूप से करेगा।

(ग) सभी प्रकार की परिवादों/अपील उसके उत्पन्न होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किये जायेंगे। 30 दिनों के बाद प्राप्त परिवाद/अपील के दायर करने में हुए विलंब को युक्तियुक्त आधार पर प्राधिकार क्षान्त कर सकेगा।

(घ) जिला अपीलीय प्राधिकार को किसी मामले की जॉच पड़ताल और किसी मामले की सुनवाई करते समय वही शक्तियाँ होगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय, निम्नलिखित विषयों के संबंध में, सिविल न्यायालय में निहित हो यथा :–

(i) व्यक्तियों को सम्मन और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने;

(ii) दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की अपेक्षा करने ;

(iii) शपथ पर साक्ष्य लेने ;

(iv) साक्षियों या दस्तावेजों का परीक्षण हेतु सम्मन जारी करने।

(ड.) अपीलीय प्राधिकार सामान्यतः अपील/परिवाद प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर किसी अपील/परिवाद/विवाद का निपटारा करेगा।

(च) विभाग द्वारा समय–समय पर दिए गए कृत्य एवं शक्ति का निर्वहन करना होगा।

14. **राज्य अपीलीय प्राधिकार के कृत्य एवं शक्तियाँ**

(क) प्राधिकार, कोई आवेदन तबतक सामान्यतः स्वीकार नहीं करेगा जबतक उसका समाधान न हो जाय कि आवेदक शिकायतों के निराकरण के संबंध में सुसंगत प्रावधान के अधीन उपलब्ध सभी विकल्पों का उपभोग कर लिया गया हो।

(ख) जहाँ आवेदन, शिकायतों के संबंध में अंतिम आदेश किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर न दिया गया हो, वहाँ उसे ग्रहण नहीं किया जाएगा। किन्तु प्राधिकार को युक्तियुक्त कारणों से समय सीमा को क्षान्त करने का अधिकार होगा।

(ग) जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई करेंगे।

(घ) बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 के अधीन गठित प्रमण्डल स्तरीय "शुल्क विनियमन समिति" के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई करेंगे।

(ड.) जिला अपीलीय प्राधिकार को किसी मामले की जाँच–पड़ताल और किसी मामले की सुनवाई करते समय वही शक्तियाँ होगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल न्यायालय में निहित हो :–

(i) व्यक्तियों को सम्मन, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने, उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने।

(ii) दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की अपेक्षा करने।

(iii) शपथ पर साक्ष्य लेने।

(iv) साक्षियों या दस्तावेजों का परीक्षण हेतु सम्मन जारी करने।

(च) विभाग द्वारा समय–समय पर दिए गए कृत्य एवं शक्ति का निर्वहन करना होगा।

15. **पुनर्विलोकन की शक्ति**

अपीलीय प्राधिकार अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसमें पाई गई किसी त्रुटि का सुधार कर सकेगा।

16. **सजा देने की शक्ति**

आदेश/निदेशों के अनुपालन नहीं होने अथवा पक्षकार द्वारा अपीलीय प्राधिकार के आदेश के अनुपालन के संबंध में मामला दायर करने की दशा में :–

(i) संबंधित पक्षकार पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा परन्तु कोई शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(ii) अपीलीय प्राधिकार उत्तरदायी पक्षकार पर 50,000 (पचास हजार) रू० तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। दंड की राशि विभाग द्वारा संसूचित/विनिर्दिष्ट शीर्ष में ट्रेजरी में जमा की जायगी। दंड की राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।

(iii) अपीलीय प्राधिकार सम्बन्धित विभाग को बिहार सेवा संहिता के प्रावधानों/बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006/बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं अन्य संगत नियमावली के प्रावधानों के अधीन दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही और अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए भी अनुशंसा सक्षम स्तर कर सकेगा।

17. **अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कार्यवाही का न्यायिक कार्यवाही होना**

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धाराएँ 193, 219 एवं 228 के अर्थोंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

18. **अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी/अध्यक्ष तथा स्टाफ का लोकसेवक होना**

इस नियमावली के अधीन उपबंधित अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष/पीठासीन पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा–21 के अन्तर्गत लोकसेवक समझे जायेंगे।

19. **अधिवक्ता की सहायता लेने तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार**

(i) इस नियमावली के अधीन अपीलीय प्राधिकार के समक्ष आवेदन करने वाला व्यक्ति प्राधिकार के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं उपस्थित हो सकेगा या अपनी पसंद के अधिवक्ता की सहायता ले सकेगा।

(ii) विभाग/पंचायतीराज संस्थान/नगर निकाय संस्थान/विश्वविद्यालय/संबद्ध महाविद्यालय/अनुदानित माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय एवं निजी विद्यालय के प्रबंधन समिति प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी के रूप में काम करने के लिए, एक या अधिक अधिवक्ताओं को अथवा अपने पदाधिकारियों में से किसी को प्राधिकृत कर सकेगा और इसके द्वारा इस रूप में प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति प्राधिकार के समक्ष, किसी आवेदन के संबंध में, उनका मामला प्रस्तुत कर सकेगा।

20. **सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण**

अध्यक्ष/पीठासीन पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्व, किसी बात के लिए, जो सद्भावपूर्वक किया गया हो या इस नियमावली या उसके अधीन बने किसी नियम या आदेश के अनुसरण में किये जाने के आशय से हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

21. **विनियमावली बनाने की शक्ति**

पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विभाग अथवा विभाग से सहमति प्राप्त कर राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा इस नियमावली के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा विनियमावली बना सकेगी।

22. **अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन**

(i) अपीलीय प्राधिकार अपने आदेशों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगा।

(ii) अपीलीय प्राधिकार के द्वारा प्राप्त परिवाद/अपीलों की संख्या तथा निपटाये गये परिवाद/अपीलों की संख्या के सम्बन्ध में मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

(iii) अपीलीय प्राधिकार द्वारा दी गयी सजा का ब्यौरा भी विभाग को प्रतिवेदित किया जायेगा।

23. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति**

इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में होनेवाली कठिनाईयों को सम्यक् विचारण के बाद विभाग अधिसूचना के माध्यम से दूर कर सकेगी।

24. **अपीलीय प्राधिकार का विघटन**

अपीलीय प्राधिकार के विघटन की स्थिति में, इसकी अस्तियाँ एवं दायित्व विभाग में निहित हो जायेंगी।

25. **निरसन एवं व्यावृति**

(i) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से "बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली, 2015" निरसित मानी जायेंगी।

(ii) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से "बिहार अनुदानित शिक्षण संस्थान प्राधिकार नियमावली 2015" निरसित मानी जायेंगी।

(iii) ऐसे निरसन के होने पर भी, पूर्व से नियुक्त प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी/अध्यक्ष इस नियमावली के अधीन नियुक्त माने जायेंगे, मानो उस दिन यह नियमवाली लागू थी। साथ ही, प्राधिकार को प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में या उसके अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में इसके अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जायेगी मानो उस दिन यह नियमवाली लागू थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(आर० के० महाजन)

अपर मुख्य सचिव

शिक्षा विभाग

ज्ञापांक :– 7/प्राधि० –4/2016 ..... पटना, दिनांक :– .....

प्रतिलिपि :–मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/प्रधान सचिव नगर विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/सभी निदेशक शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी नियोजन इकाई के अध्यक्ष/सभी उप विकास आयुक्त/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग

ज्ञापांक :– 7/प्राधि० –4/2016 ..... पटना, दिनांक :– .....

प्रतिलिपि :–1. माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नियमावली की प्रति को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

ह०/–
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग

ज्ञापांक :– 7/प्राधि० –4/2016 715 पटना, दिनांक :– 25/08/2020

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ कार्यालय कार्य हेतु उपलब्ध करायी जाए।

Rajesh

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग